



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट:- थाना अफजलगढ

दिनांक - 27.08.2023

थाना अफजलगढ पुलिस ने थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/23 धारा 376/506
भादवि के वाँछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 15.08.2023 को थाना अफजलगढ क्षेत्र की रहने वाली वादिनी द्वारा थाना अफजलगढ पर तहरीर दी कि पडोस के रहने वाले लडके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई । इस सम्बन्ध में थाना अफजलगढ पर मु0अ0सं0 302/23 धारा 376/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम व वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा थाने पर पंजीकृत मु0अ0सं0 302/23 धारा 376/506 भादवि में वाँछित बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त का नाम पता -

एक बाल अपचारी

पुलिस टीम का विवरण -

- 1.उ0नि0 श्री गोपाल सिंह थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।
- 2.कां0 2487 शैलेन्द्र कान्त थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर ।

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण:-

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित/वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा वारन्टी अभियुक्त जाहिद पुत्र खुर्शीद निवासी मौ० बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

जाहिद पुत्र खुर्शीद निवासी मौ० बुखारा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम:-

- 1- उ०नि० श्री यशदेव शर्मा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 2- मुख्य आरक्षी 436 हरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
- 3- का० 2167 अरुण कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।

थाना चांदपुर पुलिस ने धर्मस्थल से चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को चोरी गये सामान सहित किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 27.08.2023 को वादी मौ० वाहिद पुत्र अब्दुल सकूर निवासी मौ० पतियापाडा कस्बा व थाना चांदपुर जनपद बिजनौर ने थाना चांदपुर पर तहरीर दी कि दिनांक 26/27.08.2023 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा धर्मस्थल से पंखा एवं केबल चोरी कर लिया है। तहरीर के आधार पर थाना चांदपुर पर मु०अ०सं० 613/23 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही –

पुलिस अधीक्षक, जनपद बिजनौर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं चोरी की घटनाओं पर पूर्णतः अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 27.08.2023 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त 1-इमरान पुत्र मारुफ निवासी मौ० पतियापाडा कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर 2-मौहम्मद रफीक उर्फ बब्बू पुत्र हसीनुद्दीन निवासी फजरपुर ढाली थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को चोरी के ZOLTA कम्पनी के तूफानी पंखा व काले रंग का केबल (वजन करीब 3 किलो 450 ग्राम) सहित गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

अभियुक्तगण का नाम व पता –

- 1-इमरान पुत्र मारुफ निवासी मौ० पतियापाडा कस्बा व थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर
- 2-मौहम्मद रफीक उर्फ बब्बू पुत्र हसीनुद्दीन निवासी फजरपुर ढाली थाना हल्दौर जनपद बिजनौर

अभि० इमरान उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

- 1-मु०अ०सं० 255/19 धारा 323/504 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 2-मु०अ०सं० 470/21 धारा 380/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 3-मु०अ०सं० 830/21 धारा 380/504/506 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 4-मु०अ०सं० 52/23 धारा 3/25 आर्मस एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
- 5-मु०अ०सं० 613/23 धारा 380/411 भादवि थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

बरामदगी का विवरण –

- 1-ZOLTA कम्पनी का तूफानी पंखा
- 2-काले रंग का कैबिल तार वजन 3 किलो 450 ग्राम

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1-उ०नि० शिव कुमार सिंह, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

2-हे0का0 546 पुष्पेन्द्र सिंह, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर

3-का0 671 जैकी कुमार, थाना चांदपुर जनपद बिजनौर